HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9544/2026
CNR: RJHC010695292026 | URN: CRLMB / 20816U / 2026

Rahul Kela S/o Raghuveer Kela, Aged About 24 Years, Village Devriya, P.s. Mandali, District Balotra, Rajasthan. (At Present Lodged At Central Jail Dist. Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Naman Mohnot Ms. Manisha Phophaliya
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP Mr. Sabir Khan

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 115/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 69, 308(2), 115(2), 126(2) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त पर मुख्य रूप से धारा 69 बी.एन.एस. का आरोप है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस मामले में तीन वर्ष तक प्रार्थी–अभियुक्त व पीड़िता के संबंध होना बताया है। इस आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी–अभियुक्त विवाह करने को तैयार है परंतु उसके माता–पिता को एच.आई.वी. होने से लड़की के घरवालों द्वारा शादी से इंकार कर दिया। प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार करने से प्रार्थी–अभियुक्त के पिता को सदमा लगा तथा उसी रोज प्रार्थी–अभियुक्त के पिता की मृत्यु हो गई। प्रार्थी–अभियुक्त की माता भी एच. आई.वी. बीमारी से ग्रसित होने से अस्वस्थ है। जहां तक विवाह का संबंध है, प्रार्थी–अभियुक्त की जमानत होने के पश्चात समाज में बैठकर यदि संभव हो तो विवाह के बारे में विचार किया जाएगा। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध किया तथा विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में पुलिस द्वारा सही अनुसंधान नहीं किया। तीन वर्ष तक विवाह का झांसा देकर संबंध बनाए हैं। पीड़िता अभी भी विवाह करने को तैयार है परंतु प्रार्थी–अभियुक्त उससे विवाह नहीं कर रहा है। इस आधार पर जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश व चार्जशीट में प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी–अभियुक्त व पीड़िता के फोटोग्राफ्स प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से इस पत्रावली में पेश किए गए हैं, जिनका अवलोकन किया गया। स्वीकृत रूप से प्रार्थी–अभियुक्त व पीड़िता का तीन वर्ष से परस्पर संबंध है। दोनों पक्ष विवाह नहीं होने को लेकर एक–दूसरे की गलती बता रहे हैं। इस मामले के तथ्यों परिस्थितियों में प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह जमानत के पश्चात परिवार व समाज में बैठकर विवाह का भी प्रयास करेंगे। इस मामले में चालान पेश हो चुका है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **राहुल केला पुत्र रघुवीर** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

29/Mayank Rankawat/629